[2018] 4 उम. नि. प. 203

बसन्ती देवी (मृत) विधिक प्रतिनिधियों द्वारा और अन्य

बनाम

रती राम और अन्य

8 मई, 2018

न्यायमूर्ति वी. रमन्ना और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (1956 का 30) – धारा 14 – संपदा का विस्तार – वादगत संपत्ति में पूर्व-विद्यमान अधिकार का न होना – पति की मृत्यु पर उसकी विधवा को समझौता डिक्री के अनुसार सीमित अधिकार प्राप्त होना – यदि वादगत संपत्ति में विधवा का कोई पूर्व-विद्यमान अधिकार नहीं है और वह संपत्ति उसे समझौता डिक्री के आधार पर प्राप्त हुई है तो ऐसी किसी सामग्री के अभाव में कि विधवा ने वादगत संपत्ति भरणपोषण के बदले में अर्जित की थी, धारा 14(2) लागू होगी और विधवा का संपदा संबंधी सीमित अधिकार आत्यांतिक अधिकार में विस्तारित नहीं होगा ।

प्रस्तुत मामले में वादियों ने कतिपय कृषि भूमि के छठे अंश के कब्जे तथा कुएं आदि में के अधिकारों के लिए एक वाद फाइल किया था । वाद की विभिन्न प्रक्रमों पर सुनवाई के दौरान पक्षकारों के बीच एक समझौता हुआ और समझौता डिक्री पारित कर दी गई । समझौते के निबंधनानुसार, शिव लाल को संपत्ति का अन्यसंक्रामण करने या बंधक रखने संबंधी किसी अधिकार के बिना प्रश्नगत भूमि का उपयोग करने का एक सीमित अधिकार दिया गया था । यह मान लिया गया था कि शिव लाल की मृत्यु होने के पश्चात्, किसी पुरुष वंशज के न होने पर उसकी उत्तरजीविता पत्नी के पास भी भूमि में सीमित अधिकार होगा । समझौते के अधीन यह अनुबंध किया गया था कि विधवा की मृत्यु होने के पश्चात्, किसी पुरुष वंशज के न होने पर, भूमि वादियों को प्रतिवर्तित हो जाएंगी, जो कि कब्ज़ा लेने के हकदार होंगे । शिव लाल की वर्ष 1961-1962 में किसी समय मृत्यु हो गई । उसकी मृत्यु के पश्चात्, उसकी पत्नी उसकी पुत्रियों के पक्ष में नामांतरण प्रविष्ट किया गया था । वर्ष 1976 में उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाने पर वादियों ने उस छठे अंश के कब्जे के लिए, जो कि इससे पूर्व शिव लाल और उसके पश्चात् उसकी पत्नी द्वारा धारित था, वाद फाइल

किया । प्रतिवादियों ने वाद का विरोध करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ यह दलील देते हुए लिखित कथन फाइल किया कि शिव लाल की मृत्यु के पश्चात्, उसकी विधवा ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14(1) के आधार पर आत्यांतिक स्वामित्व अर्जित कर लिया था । विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि शिव लाल को समझौता डिक्री के आधार पर वादगत संपत्ति का कब्ज़ा मिला । इसके अतिरिक्त, यह अभिनिर्धारित किया गया कि उसकी पत्नी अधिनियम की धारा 14(1) के फायदे की हकदार नहीं है क्योंकि न्यायालय की डिक्री के अधीन शिव लाल का सीमित अधिकार था और इस प्रकार धारा 14(1) लागू नहीं होगी और उसकी संपदा पूर्ण स्वामित्व में विस्तारित नहीं हुई है । यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उसकी पत्नी को अनुदत्त सीमित अधिकार उसके वारिसों को विरासत में प्राप्त नहीं हो सकता है और समझौता डिक्री के निबंधनानुसार वह वादियों को प्रतिवर्तित हो जाएगा । यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिनियम की धारा 14(2) के आधार पर विधवा के सीमित संपदा संबंधी अधिकार को एक आत्यांतिक स्वामित्व संबंधी अधिकार में संपरिवर्तित नहीं किया जा सकता है । प्रथम अपील न्यायालय ने इस निर्णय और डिक्री को यह अभिनिर्धारित करते हुए उलट दिया कि शिव लाल का पूर्व-विद्यमान अधिकार था और समझौता डिक्री उनके अधिकारों को निर्बंधित नहीं कर सकती । यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि शिव लाल की सीमित संपदा विधि के प्रवर्तन द्वारा एक आत्यांतिक स्वामित्व संबंधी अधिकार में विस्तारित हो गई है और इस प्रकार, वादी उसकी पत्नी के विरुद्ध समझौता डिक्री को प्रवर्तित नहीं करा सकेंगे और उसके वारिस वादगत संपत्ति को विरासत में प्राप्त करने के हकदार थे । उच्च न्यायालय ने प्रथम अपील न्यायालय के निर्णय और डिक्री को अपास्त कर दिया और विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री को प्रत्यावर्तित कर दिया । उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह वाद प्रमुखतः इस आधार पर फाइल किया गया था कि न तो शिव लाल और न ही उसकी विधवा का वादगत भूमि में कोई पूर्व-विद्यमान अधिकार था चूंकि उनके अधिकार समझौता डिक्री से उद्भूत हुए हैं । विधवा की मृत्यु के पश्चात्, वादी भूमि के कब्ज़े के हकदार थे । यह स्पष्ट है कि शिव लाल को उसका पूर्व-विद्यमान अधिकार मानकर सीमित अधिकार अनुदत्त नहीं किया गया था । हिन्दू उत्तराधिकार

अधिनियम, 1956 की धारा 14(1) में किसी हिन्दू पुरुष के पूर्व-विद्यमान अधिकार को मान्यता नहीं दी गई है । वादगत संपत्ति कभी भी शिव लाल की स्वतः अर्जित संपत्ति नहीं बनी । उसकी विधवा ने भी भूमि को भरणपोषण के बदले धारित नहीं किया था, जिसे अधिनियम की धारा 14(1) के आधार पर पूर्ण स्वामित्व में विस्तारित किया जा सकता है । विधवा को वह संपदा उस डिक्री के आधार पर प्रदत्त हुई थी जिसके कारण एक नए अधिकार का सृजन हुआ । न तो शिव लाल और न ही उसकी विधवा का कोई पूर्व-विद्यमान अधिकार था । उसके पास जो संपत्ति थी, वह उसे शिव लाल के उत्तरवर्ती होने के परिणामस्वरूप मिली थी । वादगत संपत्ति में विधवा अपने पति से बेहतर अधिकार अर्जित नहीं कर सकती थी । (पैरा 12)

वर्तमान मामले में, यह दर्शित करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी मौजूद नहीं है कि विधवा के पास जो संपत्ति थी वह उसे भरणपोषण के बदले में या भरणपोषण के बकाया के कारण प्राप्त हुई थी । वह संपत्ति उसके शिव लाल के उत्तरवर्ती होने के परिणामस्वरूप उसे प्राप्त हुई थी । शिव लाल का किसी संपत्ति पर कब्ज़ा नहीं था । उसका उस संपत्ति पर केवल आजीवन हित था, जो कि पूर्ण अधिकार में विस्तारित नहीं हुआ था क्योंकि धारा 14(1) में किसी हिन्दू पुरुष के पूर्व-विद्यमान अधिकार को मान्यता नहीं दी गई है । उसकी विधवा उससे बेहतर अधिकार अर्जित नहीं कर सकती थी जो कि विवादग्रस्त संपत्ति में उसके पति का था । शिव लाल तथा उसकी पत्नी का अधिकार डिक्री से उद्भूत होता है । अतः, उसका अधिकार, धारा 14(1) के आधार पर पूर्णरूपेण स्वामित्व में विकसित नहीं होगा । उसने वह अधिकार पहली बार समझौता डिक्री के आधार पर अर्जित किया है । अतः, वर्तमान मामले को धारा 14(2) लागू होगी । (पैरा 14)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[1977]	(1977) 3 एस. सी. सी. 99 : **वी. तुलसम्मा और अन्य** बनाम **शेष रेड्डी (मृत) विधिक प्रतिनिधियों की मार्फत** ।	8, 13

सिविल अपीली अधिकारिता : 2011 की सिविल अपील सं. 7919.

1985 की पुनरीक्षण द्वितीय अपील सं. 1571 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की चंडीगढ़ न्यायपीठ के तारीख 31 अगस्त, 2007 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री एम. एन. राव, ज्येष्ठ अधिवक्ता, रणबीर सिंह यादव, सुश्री अंजु के. वर्के, सैयद अहमद नक्वी, सुश्री आशिमा पैरी और सुश्री रिचा गंधर्व

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री पी. एन. शर्मा, देवव्रत (श्रीमती वी.डी. खन्ना की ओर से), रूपांश पुरोहित और आर. के. शौकीन

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर ने दिया ।

न्या. नज़ीर – अपीलार्थियों-प्रतिवादियों द्वारा की गई यह अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 1985 की पुनरीक्षण द्वितीय अपील सं. 1571 में पारित तारीख 31 अगस्त, 2007 के उस निर्णय और डिक्री के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा प्रथम अपील न्यायालय के निर्णय और डिक्री को अपास्त कर दिया गया है और विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री को प्रत्यावर्तित किया गया है ।

2. वादियों ने ग्राम बेरली खुर्द, तहसील रेवाड़ी में स्थित 348 कनाल, 14 मरला माप वाली कृषि भूमि के छठे अंश के कब्जे तथा कुएं आदि में के अधिकारों के लिए 1977 का सिविल वाद सं. 34 फाइल किया था । वादपत्र में यह अभिकथन किया गया था कि हर नारायण नामक व्यक्ति वादियों का पूर्वज था । उसके तीन भाई थे, अर्थात्, जगराम, जसराम और मुखराम । सभी तीनों भाइयों की मृत्यु निःसंतान हो गई थी और हर नारायण वादगत संपत्ति का स्वामी बन गया । हर नारायण के चार पुत्र थे, अर्थात्, उदमी, भोरू, शादी और मुरली । मुरली की मृत्यु हर नारायण के जीवनकाल में हो गई थी । मुरली के दो पुत्र थे, अर्थात्, छज्जु और चिरंजी, जो कि मुरली की मृत्यु के समय अवयस्क थे । शिव लाल पुत्र अंता और माखन पुत्र चूना नामक व्यक्तियों ने स्वयं को हर नारायण के पुत्र और वारिस दर्शाते हुए अपने नाम राजस्व अभिलेख में प्रविष्ट करा लिए । शिव लाल और माखन ने विभाजन के लिए आवेदन किया, जिस पर गुड़गांव के प्रथम श्रेणी सहायक कलक्टर द्वारा रोक लगा दी गई क्योंकि इसी बीच उनके हक को चुनौती दी गई थी । गुड़गांव के प्रथम श्रेणी सहायक कलक्टर ने पक्षकारों को सिविल न्यायालय में हक संबंधी प्रश्न का विनिश्चय कराने के लिए अनुज्ञात किया । अतः, वादियों ने इस आशय की घोषणा के लिए वाद फाइल किया कि शिव लाल और माखन, हर नारायण के पुत्र नहीं थे और वादगत भूमि में सह-अंशधारी नहीं थे ।

3. विचारण न्यायालय द्वारा वह वाद तारीख 23 दिसम्बर, 1929 को खारिज कर दिया गया था । वादियों द्वारा उक्त डिक्री को चुनौती देते हुए फाइल की गई अपील गुड़गांव के जिला न्यायाधीश द्वारा तारीख 21 जुलाई, 1930 के निर्णय और डिक्री द्वारा मंजूर कर ली गई थी और विचारण न्यायालय की डिक्री को अपास्त कर दिया गया था । शिव लाल और माखन ने द्वितीय अपील फाइल करके उक्त डिक्री को चुनौती दी, जो कि उच्च न्यायालय द्वारा भागतः मंजूर कर ली गई और मामला जिला न्यायाधीश को नए सिरे से निपटारे के लिए प्रतिप्रेषित कर दिया गया था । प्रतिप्रेषण किए जाने पर, पक्षकारों ने एक समझौता किया और समझौता डिक्री पारित कर दी गई ।

4. वादियों द्वारा आगे यह दलील दी गई थी कि समझौते के निबंधनानुसार, शिव लाल को संपत्ति का अन्यसंक्रामण करने या बंधक रखने संबंधी किसी अधिकार के बिना प्रश्नगत भूमि का उपयोग करने का एक सीमित अधिकार दिया गया था । यह मान लिया गया था कि शिव लाल की मृत्यु होने के पश्चात्, किसी पुरुष वंशज के न होने पर उसकी उत्तरजीविता पत्नी के पास भी भूमि में, जिसमें हर नारायण की कुल संपदा का छठा अंश शामिल है, सीमित अधिकार होगा । समझौते के अधीन यह अनुबंध किया गया था कि विधवा की मृत्यु होने के पश्चात्, किसी पुरुष वंशज के न होने पर, भूमि वादियों, अर्थात्, हर नारायण के वारिसों को प्रतिवर्तित हो जाएंगी, जो कि कब्ज़ा लेने के हकदार होंगे तथा माखन को भूमि का कोई अधिकार नहीं होगा । शिव लाल की वर्ष 1961-1962 में किसी समय मृत्यु हो गई । उसकी मृत्यु के पश्चात्, श्रीमती छिमली, जो कि शिव लाल की पत्नी थी और शिव लाल की पुत्रियों के पक्ष में नामांतरण प्रविष्ट किया गया था । वर्ष 1976 में छिमली की मृत्यु हो जाने पर वादियों ने उस छठे अंश के कब्जे के लिए, जो कि इससे पूर्व शिव लाल और उसके पश्चात् श्रीमती छिमली द्वारा धारित था, वाद फाइल किया ।

5. प्रतिवादियों ने वाद का विरोध करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ यह दलील देते हुए लिखित कथन फाइल किया कि शिव लाल की मृत्यु के पश्चात्, उसकी विधवा श्रीमती छिमली ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (जिसे संक्षेप में "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 14(1) के आधार पर आत्यांतिक स्वामित्व अर्जित कर लिया था । विचारण न्यायालय ने तारीख 12 जून, 1979 के निर्णय और डिक्री द्वारा यह अभिनिर्धारित किया

कि शिव लाल को समझौता डिक्री के आधार पर वादगत संपत्ति का कब्ज़ा मिला । इसके अतिरिक्त, यह अभिनिर्धारित किया गया कि श्रीमती छिमली अधिनियम की धारा 14(1) के फायदे की हकदार नहीं है क्योंकि न्यायालय की डिक्री के अधीन शिव लाल का सीमित अधिकार था और इस प्रकार धारा 14(1) लागू नहीं होगी और उसकी संपदा पूर्ण स्वामित्व में विस्तारित नहीं हुई है । यह अभिनिर्धारित किया गया था कि श्रीमती छिमली को अनुदत्त सीमित अधिकार उसके वारिसों को विरासत में प्राप्त नहीं हो सकता है और तारीख 23 दिसम्बर, 1932 की समझौता डिक्री के निबंधनानुसार वह वादियों को प्रतिवर्तित हो जाएगा । यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिनियम की धारा 14(2) के आधार पर छिमली के सीमित संपदा संबंधी अधिकार को एक आत्यांतिक स्वामित्व संबंधी अधिकार में संपरिवर्तित नहीं किया जा सकता है ।

6. प्रथम अपील न्यायालय ने इस निर्णय और डिक्री को यह अभिनिर्धारित करते हुए उलट दिया कि शिव लाल और माखन का पूर्व-विद्यमान अधिकार था और समझौता डिक्री उनके अधिकारों को निर्बंधित नहीं कर सकती । यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि शिव लाल की सीमित संपदा विधि के प्रवर्तन द्वारा एक आत्यांतिक स्वामित्व संबंधी अधिकार में विस्तारित हो गई है और इस प्रकार, वादी श्रीमती छिमली के विरुद्ध समझौता डिक्री को प्रवर्तित नहीं करा सकेंगे और उसके वारिस वादगत संपत्ति को विरासत में प्राप्त करने के हकदार थे ।

7. जैसी कि ऊपर अवेक्षा की गई है, उच्च न्यायालय ने प्रथम अपील न्यायालय के निर्णय और डिक्री को अपास्त कर दिया और विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री को प्रत्यावर्तित कर दिया ।

8. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल श्री एम. एन. राव ने यह दलील दी कि अधिनियम की धारा 14(1) संपदा की व्याप्ति को तब आत्यांतिक संपदा में विस्तारित करती है यदि वह भूमि विधवा के कब्ज़े में हो । शिव लाल की मृत्यु वर्ष 1961 में हो गई और उसकी पत्नी छिमली की मृत्यु वर्ष 1976 में हुई और उस अवधि के दौरान भूमि पर उसका कब्ज़ा था । छिमली का अधिकार प्रथम बार अनुदत्त किया गया अधिकार नहीं था । शिव लाल की पत्नी के रूप में संपत्ति का दावा करने संबंधी उसके पूर्व-विद्यमान अधिकार के संबंध में कोई विवाद नहीं था । यह स्थिति समझौते के निबंधनों से स्पष्ट होती है । दूसरे शब्दों में, शिव लाल की विधवा के पूर्व-विद्यमान अधिकार को समझौते

में भी माना गया था । विद्वान् काउन्सेल ने हमारा ध्यान समझौते के निबंधनों की ओर दिलाया और यह निवेदन किया कि शिव लाल का भूमि में अस्तित्वशील हित था । अतः, उसकी विधवा का अपने पति की संपत्ति में अधिकार था । यह दलील दी गई थी कि समझौते से पूर्व भी, शिव लाल उस भूमि का स्वामी और कब्ज़ाधारी था । अतः, उच्च न्यायालय का यह अभिनिर्धारित करना सही नहीं है कि मामला अधिनियम की धारा 14(2) के अंतर्गत आता है । विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल ने अपने निवेदनों के समर्थन में **वी. तुलसम्मा और अन्य** बनाम **शेष रेड्डी (मृत) विधिक प्रतिनिधियों की मार्फत**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लिया ।

9. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री पी. एन. शर्मा ने यह निवेदन किया कि शिव लाल की विधवा छिमली का वादगत संपत्ति में कोई पूर्व-विद्यमान अधिकार नहीं था और उसने समझौता डिक्री के अधीन अधिकार अर्जित किया था । इसलिए, यह मामला अधिनियम की धारा 14(2) के अंतर्गत आता है ।

10. जिन दलीलों पर जोर दिया गया है, उन्हें ध्यान में रखते हुए विचारार्थ प्रश्न यह है कि क्या शिव लाल की विधवा छिमली का वादगत संपत्ति में कोई पूर्व-विद्यमान अधिकार था या उसने केवल समझौता डिक्री के अधीन वह अधिकार अर्जित किया था । परिणामस्वरूप, क्या मामला अधिनियम की धारा 14(1) या धारा 14(2) के अंतर्गत आएगा ?

11. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि प्रतिवादियों के पूर्वाधिकारियों द्वारा वादियों के पूर्वाधिकारियों के विरुद्ध फाइल किए गए एक वाद में एक समझौता डिक्री पारित की गई थी । समझौता डिक्री के निबंधनानुसार, हर नारायण के पुत्रों ने, जो कि वादियों के हक-पूर्वाधिकारी थे, प्रतिवादी के पूर्वाधिकारी, अर्थात् शिव लाल को सीमित कब्ज़ा-विषयक अधिकार देने के लिए करार किया । समझौते के निबंधनानुसार, यह अभिनिर्धारित करते हुए एक समझौता डिक्री पारित की गई कि "शिव लाल अपने जीवनकाल के दौरान किसी भी दशा में अपनी संपत्ति का विक्रय करने या उसे बंधक रखने का हकदार नहीं होगा", जिसका अर्थ यह है कि शिव लाल ने हिसार के जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 23 दिसम्बर, 1932 की डिक्री के निबंधनानुसार केवल प्रतिबंधित कब्ज़ा-विषयक अधिकार प्राप्त किए थे । इसके अलावा, उसमें स्पष्ट रूप से यह उपबंध किया गया था

---

[1] (1977) 3 एस. सी. सी. 99.

कि यदि विधवा की शिव लाल से पूर्व मृत्यु हो गई तो वादगत संपत्ति वादियों के पूर्वाधिकारियों को प्रतिवर्तित हो जाएगी और यदि शिव लाल की मृत्यु विधवा की मृत्यु से पहले हो गई तो विधवा अपने जीवनकाल के दौरान उसका उपयोग करने के लिए हकदार होगी । इसके पश्चात् वादगत संपत्ति वादी के पूर्वाधिकारियों को प्रतिवर्तित हो जाएगी । इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि शिव लाल को वादगत संपत्ति की बाबत एक सीमित अधिकार दिया गया था । शिव लाल की मृत्यु वर्ष 1961 में हो गई । शिव लाल की पत्नी छिमली की मृत्यु वर्ष 1976 में हो गई ।

(जोर देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

12. यह वाद प्रमुखतः इस आधार पर फाइल किया गया था कि न तो शिव लाल और न ही उसकी विधवा का वादगत भूमि में कोई पूर्व-विद्यमान अधिकार था चूंकि उनके अधिकार समझौता डिक्री से उद्भूत हुए हैं । श्रीमती छिमली की मृत्यु के पश्चात्, वादी भूमि के कब्ज़े के हकदार थे । यह स्पष्ट है कि शिव लाल को उसका पूर्व-विद्यमान अधिकार मानकर सीमित अधिकार अनुदत्त नहीं किया गया था । अधिनियम की धारा 14(1) में किसी हिन्दू पुरुष के पूर्व-विद्यमान अधिकार को मान्यता नहीं दी गई है । वादगत संपत्ति कभी भी शिव लाल की स्वतः अर्जित संपत्ति नहीं बनी । उसकी विधवा छिमली ने भी भूमि को भरणपोषण के बदले धारित नहीं किया था, जिसे अधिनियम की धारा 14(1) के आधार पर पूर्ण स्वामित्व में विस्तारित किया जा सकता है । छिमली को वह संपदा उस डिक्री के आधार पर प्रदत्त हुई थी जिसके कारण एक नए अधिकार का सृजन हुआ । न तो शिव लाल और न ही उसकी विधवा छिमली का कोई पूर्व-विद्यमान अधिकार था । उसके पास जो संपत्ति थी, वह उसे शिव लाल के उत्तरवर्ती होने के परिणामस्वरूप मिली थी । वादगत संपत्ति में श्रीमती छिमली शिव लाल से बेहतर अधिकार अर्जित नहीं कर सकती थी । शिव लाल तथा श्रीमती छिमली के अधिकार समझौता डिक्री से उद्भूत हुए थे ।

13. **तुलसम्मा** (उपर्युक्त) वाले मामले में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि हिन्दू स्त्री को प्राप्त भरणपोषण का अधिकार, जहां तक पति का संबंध है, उसकी व्यक्तिगत बाध्यता है और उसका भरणपोषण करने का उसका कर्तव्य है भले ही उसके पास कोई संपत्ति न हो । भरणपोषण का अधिकार एक पूर्व-विद्यमान अधिकार है । यदि पति के पास संपत्ति है तो भरणपोषण संबंधी विधवा का अधिकार उसकी संपत्ति पर एक साम्यापूर्ण प्रभार बन जाता है और ऐसा कोई व्यक्ति, जो संपत्ति

को प्राप्त करता है, उसके साथ विधवा के भरणपोषण की विधिक बाध्यता भी ग्रहण करता है । इसके अतिरिक्त, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी हिन्दू कुटुम्ब द्वारा धारित भरणपोषण के अधिकार के लिए दावा, विधिक रूप से ऐसे अंश का प्रतिस्थानी है जो उसे अपने पति की संपत्ति में प्राप्त हुआ होता ।

14. वर्तमान मामले में, यह दर्शित करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी मौजूद नहीं है कि छिमली के पास जो संपत्ति थी वह उसे भरणपोषण के बदले में या भरणपोषण के बकाया के कारण प्राप्त हुई थी । वह संपत्ति उसके शिव लाल के उत्तरवर्ती होने के परिणामस्वरूप उसे प्राप्त हुई थी । शिव लाल का किसी संपत्ति पर कब्ज़ा नहीं था । उसका उस संपत्ति पर केवल आजीवन हित था, जो कि पूर्ण अधिकार में विस्तारित नहीं हुआ था क्योंकि धारा 14(1) में किसी हिन्दू पुरुष के पूर्व-विद्यमान अधिकार को मान्यता नहीं दी गई है । श्रीमती छिमली उससे बेहतर अधिकार अर्जित नहीं कर सकती थी जो कि विवादग्रस्त संपत्ति में उसके पति का था । शिव लाल तथा श्रीमती छिमली का अधिकार डिक्री से उद्भूत होता है । अतः, उसका अधिकार, धारा 14(1) के आधार पर पूर्णरूपेण स्वामित्व में विकसित नहीं होगा । उसने वह अधिकार पहली बार समझौता डिक्री के आधार पर अर्जित किया है । अतः, वर्तमान मामले को धारा 14(2) लागू होगी ।

15. परिणामतः, अपील असफल होती है और वह तद्नुसार खारिज की जाती है । खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

ग्रो.